फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्रीमती तुलसीबाई** | विपक्षी :– **सुश्री आशा**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम | पत्रावली संख्या :– 24/24

जीसीएमएस नम्बर :– 2024/65

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.09.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः विपक्षी संख्या 1 से 3 के जवाब का अवसर बन्द किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस टी.आई सुनी जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 2 की पैतृक सम्पति होना बताकर एवं विपक्षी संख्या 3 द्वारा दान पत्र दिनांक 09.06.2008 से अपने नाम दर्ज होना बताकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 231 पर दर्ज आराजी नम्बर 1469, 1650, 1653, 1663, 1664, 1712, 1713, 2208 किता 8 कुल रकबा 2.7924 हेक्टेयर, खाता संख्या 230 पर दर्ज आराजी नम्बर 1462, 1479 किता 2 कुल रकबा 0.6070 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 380 पर दर्ज आराजी नम्बर 2211 रकबा 0.0486 हेक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 3 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि के विपक्षी संख्या 3 वर्तमान में रेकार्डेड खातेदार हैं। विपक्षी संख्या 3 के नाम उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 3 के दादा मोतीलाल द्वारा दान पत्र दिनांक 09.06.2008 से दर्ज हुई हैं। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पूर्व में अपने पिताजी मोतीलाल के नाम दर्ज होना बताकर पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा चाही हैं। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद करवाना चाहे रहे हैं परन्तु विपक्षी संख्या 3 रेकार्डेड खातेदार हैं। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्व यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा विपक्षी स[illegible] को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। प्रार्थीगण [illegible] पैतृक सम्पति होना बताकर अपने हिस्से अनुसार मौके पर [illegible] होना बताया। प्रार्थीगण के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:58 IST
Reason: SelfAttested

कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर मौके पर पक्का निर्माण कार्य करने पर उतारू हैं। प्रार्थीगण के इस कथन को भी नकारा नहीं जा सकता है चूंकि यदि मूल वाद में वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होना साबित होकर प्रार्थीगण को खातेदार घोषित किया जाता है एवं विपक्षीगण द्वारा मौके पर पक्का निर्माण कर लिया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण दोनों के पक्ष में साबित होते हैं। इसलिए उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 231 पर दर्ज आराजी नम्बर 1469, 1650, 1653, 1663, 1664, 1712, 1713, 2208 किता 8 कुल रकबा 2.7924 हेक्टेयर, खाता संख्या 230 पर दर्ज आराजी नम्बर 1462, 1479 किता 2 कुल रकबा 0.6070 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 380 पर दर्ज आराजी नम्बर 2211 रकबा 0.0486 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:51:58 IST
Reason: SelfAttested